भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3613
जिसका उत्तर मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

विद्युत वाहनों का प्रोत्साहन

3613. श्री शंकर लालवानी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में प्रदूषण की समस्या विद्युत वाहनों से काफी हद तक कम हो सकती है;

(ख) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में विद्युत वाहनों की संभावनाओं के मद्देनजर विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किया है; और

(घ) यदि हां. तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (घ): जी, हां। प्रदूषण के लिए अनेक कारण हैं और वाहन संबंधी प्रदूषण उनमें से एक कारण है। इलेक्ट्रिक वाहनों में शून्य ऑन-रोड उत्सर्जन है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करके प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण को बढावा देने के लिए भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से 2 वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए वर्ष 2015 में एक योजना नामतः [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण] (चरण-I) तैयार की। योजना के चरण-I को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बढ़ोतरी दिनांक 31 मार्च, 2019 तक थी। योजना के इस चरण में लगभग ₹359 करोड़ के मांग प्रोत्साहन के द्वारा लगभग 2.8 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनो की सहायता की गई है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 50 मिलियन लीटर ईंधन की बचत हुई और लगभग 124 मिलियन किलोग्राम कार्बन डाइ ऑक्साइड में कमी आई।

इस समय, भारी उद्योग विभाग ₹10,000 करोड़ की कुल बजटीय सहायता के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से 03 वर्षों की अवधि के लिए फेम इंडिया योजना के चरण-II को प्रशासित कर रहा है। यह चरण मुख्यतः सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण की सहायता करने पर केंद्रित होगा और प्रोत्साहन के माध्यम से लगभग 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55,000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-तिपहिया वाहनों की सहायता करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच रेंज संबंधी चिंताओं का समाधान करने के लिए चार्जिंग अवसंरचना के सृजन की भी सहायता की जाएगी। यह योजना संपूर्ण भारत के लिए है।

इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें भी आरंभ की गई हैं:

(i). नई जीएसटी प्रणाली के तहत पारंपरिक वाहनों के लिए 22% तक उपकर के साथ 28% जीएसटी की तुलना में ईवीएस पर जीएसटी को मौजूदा 12% से 5% तक कम किया गया है।

(ii). विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग हेतु 'सेवा' के रूप में विद्युत की बिक्री की अनुमति दी है। इससे चार्जिंग अवसंरचना में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन उपलब्ध होगा।

(iii). 18 अक्तूबर, 2018 के का. आ. सं.5333(ई) के द्वारा सरकार ने बैटरी से चलने वाले यातायात वाहनों और इथेनॉल और मेथेनॉल से चलने वाले यातायात वाहनों को भी परमिट से छूट प्रदान की है।

(iv). 18 जून, 2019 के मसौदा जीएसआर 430(ई) के द्वारा सरकार ने देश में पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बैटरी से चलने वाले/इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क में छूट का प्रस्ताव किया है।

(v). 2019-20 के बजट में माननीय वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर देय ब्याज पर ₹1.5 लाख की अतिरिक्त आयकर कटौती उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

(vi). सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ई-स्कूटर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु 16-18 वर्ष की आयु वर्ग को अनुमति दी है।

(vii). सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 17 जुलाई, 2019 को एक परामर्शी पत्र जारी किया है।

*****